

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संचिका संख्या- ख०भू० (अंकेक्षण)-13/2021

1049 /एम०,राँची, दिनांक- 16/06/25

आदेश

विभागान्तर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के अनुश्रवण एवं निराकरण हेतु विभागीय अंकेक्षण समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

विभागीय अंकेक्षण समिति, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची		
क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री मनोज कुमार रंजन, अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, भूतत्व	सदस्य
3	उप निदेशक, खान, खान निदेशालय (मुख्यालय)	सदस्य
4	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग	सदस्य
5	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग	सदस्य
6	अपर निदेशक, खान, राँची	सदस्य
7	अपर निदेशक, भूतत्व, हजारीबाग	सदस्य
8	उप निदेशक, खान / भूतत्व, सम्बन्धित खनन / भूतात्विक अञ्चल कार्यालय /	सदस्य
9	उप निदेशक, भूतत्व, राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला / भूतात्विक प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग	सदस्य
10	जिला खनन पदाधिकारी / सहायक निदेशक, भूतत्व, सम्बन्धित जिला खनन कार्यालय / जिला भूतात्विक कार्यालय / प्रभारी, अभ्रख कार्यालय, कोडरमा	सदस्य

- अवर सचिव / उप सचिव, विभागीय अंकेक्षण प्रशाखा विभागीय अंकेक्षण समिति; अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची; महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची का कार्यालय एवं लोक लेखा समिति, झारखण्ड विधान सभा के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।
- विभागान्तर्गत महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची के निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों एवं वित्त विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों / विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के अनुश्रवण एवं निराकरण हेतु उपरोक्त विभागीय अंकेक्षण समिति का त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक नियमित रूप से आयोजित किया जायेगा, जिसमें उपरोक्त तालिका के क्रम सं० 1 से 7 तक में अंकित पदाधिकारियों के साथ ही सम्बन्धित उप निदेशक, खान / भूतत्व, खनन / भूतात्विक अञ्चल कार्यालय / राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला / भूतात्विक प्रशिक्षण केन्द्र एवं सम्बन्धित जिला खनन पदाधिकारी / सहायक निदेशक, भूतत्व, जिला भूतात्विक कार्यालय / प्रभारी, अभ्रख कार्यालय द्वारा भाग लिया जायेगा।
- एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश विभागीय ज्ञापांक 1476, दिनांक 22.08.2023 एवं ज्ञापांक 1450, दिनांक 17.08.2023 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
- प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

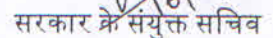

(आराख्खा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- ख०भू० (अंकेक्षण)-13/2021

1049 /एम०,राँची, दिनांक- 16/06/25

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग / निदेशक, खान / निदेशक, भूतत्व / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन निगम लि०, राँची / अपर निदेशक, खान, राँची / अपर निदेशक, भूतत्व, हजारीबाग / उप निदेशक, खान, खान निदेशालय (मुख्यालय) / उप निदेशक, खान, सभी खनन अञ्चल कार्यालय / उप निदेशक, भूतत्व, सभी भूतात्विक अञ्चल कार्यालय / उप निदेशक, भूतत्व, राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग / उप निदेशक, भूतत्व, भूतात्विक प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग / सभी जिला खनन पदाधिकारी / सहायक निदेशक, भूतत्व, सभी जिला भूतात्विक कार्यालय / प्रभारी, अभ्रख कार्यालय, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- ख०भू० (अंकेक्षण)-13/2021

1049 /एम०,राँची, दिनांक- 16/06/25

प्रतिलिपि- श्री कुमार अमिताभ, उप निदेशक, भूतत्व, भूतत्व निदेशालय-सह-विभागीय नोडल पदाधिकारी-सह-Administrator, झारखण्ड स्टेट पोर्टल को इस आदेश को झारखण्ड स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


16/06/2025